न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 100/2022(GCMS : 2022/146)

डी.सी.बी. बैक लिमिटेड, पता एस–5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ टॉवर, हवा सड़क, सिविल लाईन जयपुर (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कमलेश कुमार शर्मा

<u>बनाम</u>

1. **श्री विनोद कुमार** पुत्र श्री बृजलाल पता 25–के, नियर वाटर वर्क्स, पन्नीवाली जाटान, 14, एसडीपी, तहसील सादुलशहर पन्नीवाली जाटान, श्रीगंगानगर (राज.) 335001 एवं अहाता नं. 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर (राज.) 335001
2. **श्री बृजलाल** पुत्र श्री कालूराम कुमार पता 25–के, नियर वाटर वर्क्स, पन्नीवाली जाटान, 14, एसडीपी, तहसील सादुलशहर पन्नीवाली जाटान, श्रीगंगानगर (राज.) 335001 एवं अहाता नं. 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर (राज.) 335001
3. श्री मदन लाल पुत्र श्री बृजलाल पता 25–के, नियर वाटर वर्क्स, पन्नीवाली जाटान, 14, एसडीपी, तहसील सादुलशहर पन्नीवाली जाटान, श्रीगंगानगर (राज.) 335001 एवं अहाता नं. 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर (राज.) 335001
4. **श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री बृजलाल** पता 25–के, नियर वाटर वर्क्स, पन्नीवाली जाटान, 14, एसडीपी, तहसील सादुलशहर पन्नीवाली जाटान, श्रीगंगानगर (राज.) 335001 एवं अहाता नं. 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर (राज.) 335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>23.08.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महावीर मिढा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 03.06.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण विनोद कुमार, बृजलाल, मदनलाल एवं कमला देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 6.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख पचास हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत [illegible]। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **बृजलाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति अहाता नम्बर 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335001,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:02:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण विनोद कुमार, बृजलाल, मदनलाल एवं कमला देवी को दिनांक 30.08.2014 को 4.00/– लाख रूपये एवं दिनांक 31.08.2016 को 2.50/– लाख रूपये, कुल 6.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये छः लाख पचास हजार मात्र)** के ऋण राशि की स्वीकृति **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बृजलाल ने अपनी अचल सम्पत्ति **अहाता नम्बर 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर–335001,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.05.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 20.07.2021** को जारी कर दिनांक 20.07.2021 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी बृजलाल की **अचल सम्पत्ति अहाता नम्बर 100, चक पन्नीवाली तहसील** सादुलशहर **जिला** श्रीगंगानगर **335001,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.09.01 17:02:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.07.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.07.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अ**प्रार्थीगण दिनांक 20.07.2021 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी बृजलाल के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी डी.सी.बी. बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **बृजलाल द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति अहाता नम्बर 100, चक पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 335001, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब त[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:02:03 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर